www.hbh.gov.in

आवास बोर्ड हरियाणा
पंचकूला

आवास बोर्ड हरियाणा

सैल्फ फाईनैंसिंग स्कीम के अन्तर्गत गुरूग्राम में फ्लैट पाने का

सुनहरा अवसर

गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
परिवारों के लिए मकान पाने का सुनहरा अवसर

आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा निर्मित किये जा रहे

1719 तीन मंजिले मकान

पंजीकरण की अवधि
20.08.2018 से 19.09.2018

इन मकानों पर प्रधानमन्त्री
आवास योजना की CLSS के अन्तर्गत ब्याज पर
6.5 प्रतिशत सबसिडी का लाभ उठाया जा सकता है।
जो आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शहरी
विकास विभाग द्वारा पंजीकृत है वे सभी आवेदक
2.50 लाख रूपये तक की सबसिडी के पात्र है।

सभी को सार्मथ्य अनुसार घर उपलब्ध कराने को तत्पर

आवास बोर्ड हरियाणा
पंचकूला

आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए निर्मित किये जा रहे 1719 ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी की आवासीय इकाईयों के आबंटन हेतु पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करता है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रार्थना पत्र इस के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप मे भेजे जाएं। अधूरे, दोष पूर्ण या सशर्त प्रार्थना पत्रों को सिरे से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

पंजीकरण की अवधि
20.08.2018 से 19.09.2018

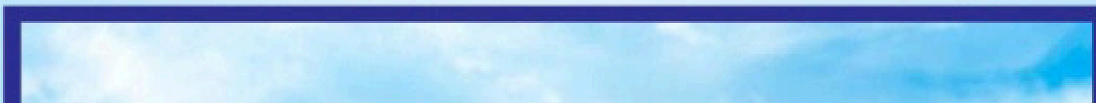

नोटः यह चित्र उदाहरण स्वरूप है, असल तसवीर प्लाट के मानक आधार पर भिन्न हो सकती है।

आवासीय इकाईयों का विस्तार

क्रमांक	स्टेशन	आवासीय इकाईयों की अनुमानित संख्या	अनुमानित मूल्य
1.	गुरूग्राम के विभिन्न सैक्टरों में	1719	5.85 लाख

नोटः

1. इन आवासीय इकाईयों के आवंटन में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को प्राथमिक्ता दी जायेगी और BPL आवेदनों की संख्या के बराबर मकान सुरक्षित रखने के उपरांत बाकी मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदकों को श्रेणी के आधार पर आरक्षण के अनुसार आवंटित किये जायेंगे।
2. आवासीय इकाईयों का मूल्यांकन अनुमानित है। वास्तविक मूल्य आबंटन के समय निर्धारित किया जाएगा।
3. कार्नर पर स्थित आवासीय इकाईयों के लिए जमीन की कीमत (जो कि कब्जे के समय निर्धारित की जाएगी) का 10% अतिरिक्त देना होगा।

आवासीय इकाईयों का मूल्य एवं भुगतान का तरीका

(क) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के लिए

1. प्रार्थना पत्र के साथ भुगतान ....अनुमानित कीमत का 10%
2. ड्रा के पश्चात भुगतान..अनुमानित कीमत का 10:%
3. कब्जे से समय...निर्धारित मूल्य का 30%
4. बाकी की 50% कीमत आवंटन के 60 दिन के अंदर एक मुश्त अथवा 156 समान मासिक किस्तों में ब्याज सहित दी जा सकती है।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवारों के लिए

1.	प्रार्थना पत्र के साथ भुगतान	अनुमानित कीमत का 10%	58500/-
2.	ड्रा के पश्चात भुगतान	अनुमानित कीमत का 15:%	87750/-
3.	प्रथम त्रैमासिक किस्त	अनुमानित कीमत का 15:%	87750/-
4.	द्वितीय त्रैमासिक किस्त	अनुमानित कीमत का 10:%	58500/-
5.	तृतीय त्रैमासिक किस्त	अनुमानित कीमत का 10:%	58500/-
6.	चतुर्थ त्रैमासिक किस्त	अनुमानित कीमत का 10:%	58500/-
7.	पाँचवीं त्रैमासिक किस्त	अनुमानित कीमत का 10:%	58500/-
8.	छठी त्रैमासिक किस्त	अनुमानित कीमत का 10:%	58500/-

9. बाकी वास्तविक कीमत की 10:% प्रतिशत राशी फ्लैट के आवंटन के समय ....

आबंटन का तरीका:

आवासीय इकाईयों की संख्या अनुमानित है जो कि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अगर प्रार्थियों की संख्या आवासीय इकाईयों से बढ़ जाती है तो सफल प्रार्थियों का निर्धारण ड्रा द्वारा किया जाएगा जोकि पंजीकरण की अन्तिम तिथि से छः मास के भीतर निकाला जाएगा। अगर प्राथियों की संख्या आवासीय इकाईयों से कम रहती है तो सभी आवेदकों को सफल घोषित किया जायेगा। आवासीय इकाईयों के ड्रा की वास्तविक तिथि, समय एवं ड्रा के स्थान को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा तथा आवास बोर्ड हरियाणा की वैब साईट www.hbh.gov.in पर भी अपलोड किया जाएगा। निश्चित फलोर व आवासीय इकाई संख्या भी ड्रा द्वारा निकाला जाएगा परन्तु आबंटन से पहले अगर कोई प्रार्थी पंजीकरण के पश्चात अपने पंजीकरण को वापिस लेता है तो उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

ध्यान दें:–

1. आवासीय इकाईयों का मूल्यांकन अनुमानित है और वास्तविक मूल्य कब्जे के समय निर्धारित किया जाएगा। आवासीय इकाईयों को उसी कीमत पर आबंटन / कब्जा दिया जाएगा। उसके पश्चात कीमत में वृद्धि केवल निम्न कारणों से हो सकती है :

   (अ) जमीन की कीमत में वृद्धि के कारण दी गई नुकसान भरपाई।

   (ब) पंच निर्णय / आॅबीट्रेशन अवार्ड

   (स) कोई वैधानिक कर / लेनी।

2. गरीबी रेखा से नीचे आवासीय इकाई की मासिक किस्त सफल आवेदक को कब्जे के प्रस्ताव के महीने से अगले महीने से लागू होगी। मासिक किस्त प्राधिकृत बैंक शाखा में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक देय होगी। देय तिथि से देय राशि का भुगतान न करने पर हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971, के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना / निष्कासन हो सकता है।

3. आवेदक / अलाटी के पास आबंटन पत्र जारी करने की तारीख से 60 दिन के भीतर एकमुश्त मे कीमत का भुगतान करने का विकल्प होगा जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

4. इस स्कीम में ब्याज बोर्ड रेगुलेशन / पालिसी के अनुसार लिया जायेगा।

5. किसी भी आवासीय इकाई को subletting की अनुमति नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए आवास इकाई का अर्ध वार्षिक निरिक्षण किया जाएगा और अगर यह पाया गया कि किसी आबंटक ने बिक्री, उपहार या किसी अन्य तरीके से 5 साल से पहले सम्पत्ति को किसी अन्य को स्थानांतरित कर दिया है तो आबंटन रद्द कर दिया जाएगा एवं तब तक की समस्त जमा राशि को हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के रेगुलेशन के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा।

6. EWS आवासीय इकाईयों के लिए पूर्ण भुगतान करने के पश्चात कन्वेयंस डीड के जरिये मालिकाना अधिकार आवंटीयों को दे दिया जाएगा। कन्वेयंस डीड से सम्बंधित सभी खर्चे आबंटियों द्वारा वहन किये जाएगे।

7. किसी अन्य सूचना हेतु कृप्या हमारी वैबसाईट www. hbh.gov.in देखें सभी अथवा सम्पदा प्रबन्धकों आवास बोर्ड हरियाणा, से उनके मोबाईल नं. अथवा फोन नं. जोकि अनुसूची 'ग' पर उपलब्ध है पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आवासीय इकाई का ब्यौरा

तालिका–1

वर्ग	लगभग कवर्ड एरिया (वर्ग फुट में)	ब्योरा
ई0डब्ल्यू0एस0 आवास इकाई	**355**	बैठक / कमरा, रसोई, स्नानघर एवं शौचालय, अगला / पिछला बरामदा (भूतल पर), अगली / पिछली बालकोनी (पहली एवं दूसरी मंजिल के लिए),

नोटः–

1. प्लाट का मानक आकार भिन्न–भिन्न हो सकता है।
2. उपरोक्त दिया गया कवर्ड एरिया का ब्योरा लगभग है वास्तविक कवर्ड एरिया ड्रा के बाद आवंटन के समय बताया जायेगा।
3. अगला / पिछला बरामदा केवल जी0एफ0 आबंटको के लिए होगा।
4. सीढ़ियां एवं छत सभी आबंटकों के प्रयोग हेतु होगा इस पर किसी का एकाकी अधिकार नही होगा।
5. किसी भी फ्लोर पर कोई बदलाव / अतिरिक्त निर्माण की आज्ञा नहीं होगी।
6. प्रथम तल / द्वितीय तल की पार्किंग सीढ़ियों के सामने तथा भूतल की पार्किंग भूतल के सामने बरामदे में होगी।

विनिर्दश

तालिका–2

व्याख्या	विवरण
फर्श	विर्टीफाइड टाईलस का फर्श कमरों में, ग्लेजड सेरामिक टाईलस रसोई, स्नानघर व शौचालय में एवं सीढ़यों का फर्श कोटा पत्थर का होगा।
बढ़ई कार्य	बाहरी दरवाजों और खिडकियों पर व्यवसाईक कठोर लकड़ी की डबल चौखट तथा एंगल आइरन की फ्रैम जो कि अन्दर के दरवाजों तथा रोशन दानों मे लगी है। फलश डोर शटर तथा खिडकियों के शटर शीशे लगे।
रसोई	बरोदा हरा संगमरमर की वर्क टोप, दीवारों पर 2 फुट की उचांई तक ग्लेजड सैरामिक टाईल लगी है। रसोई में स्टील सिंक भी फिट है।
शौचालय	4 फुट की उचांई तक ग्लेजड सेरामिक टाईले लगी है।
आन्तरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं	जी0आई0 (बी क्लास) पाईप तथा इसकी पानी की स्पलाई में C.P. कन्वेशनल फिटिंग, UPVC (SWR Grade) पाईप सिवरेज व सैनेटरी के लिए होगा।
आन्तरिक बिजली सेवाएं	कन्सील्ड पी0वी0सी0 पाईप जिसमें MS Box लगे है तथा उपयुक्त मात्रा में रोशनी का प्रबन्ध है। पावर तथा पल्ग पोईण्टस कापर कण्डक्टर में बने हुए हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर के साथ।
परिसज्जा	ऑयल बाउण्ड डिस्टैम्पर सभी आन्तरिक दीवारों पर तथा बाहरी दीवारों पर ऐक्रेलिक इमलशन पैंट जो कि 1st Quality का होगा।

<u>नोट</u> :– आगे तथा पीछे बाउण्डरी वाल तथा बरामदा में साधरण फर्श है।

पात्रता:– पंजीकरण के समय

1. प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के पास BPL कार्ड होना अनिवार्य है तथा वह हरियाणा का स्थाई वासी होना चाहिए।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय सीमा PMAY की Guidelines के अनुसार तीन लाख रुपये तक प्रतिवर्ष होनी चाहिए।
3. EWS श्रेणी के आवेदकों के लिए पात्रता हेतु आवश्यक है कि वह हरियाणा प्रदेश का निवासी हो या कम से कम पिछले छः मास से हरियाणा में कार्यरत हो।
4. प्रार्थी, पति या पत्नी अथवा उन पर आश्रित सदस्यों के नाम हाउसिंग बोर्ड कालोनी, हुड्डा सैक्टर व सरकार द्वारा मंजूरशुदा कालोनी में कोई फ्लैट/प्लाट नहीं होना चाहिए। इस सम्बंध में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. प्रार्थी भारतीय होना चाहिए।
6. पंजीकण के समय प्रार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
7. कोई भी पात्र व्यक्ति या उसकी पत्नी, अथवा उसका / उस पर निर्भर सदस्य इस स्कीम के तहत एक से अधिक प्रार्थना पत्र नही दे सकता।
8. प्रार्थी को पंजीकरण की प्रार्थना के साथ अपने वैध BPL कार्ड जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी (उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), तहसीलदार) द्वारा जारी किये गए आय प्रमाण पत्र की एक प्रति लगाना अनिवार्य है अन्यथा पंजीकरण बिना किसी नोटिस रद्द कर दिया जाएगा तथा उसके द्वारा जमा राशि को बोर्ड पालिसी के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा।
9. आरक्षण का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवारों के लिए है जो कि स्थायी रूप से हरियाणा के निवासी हों।

नोटः–

I) अधिकमण / तथ्यों को छिपाने के लिए आवास इकाई का पंजीकरण / आबंटन रद्द किया जा सकता है तथा समस्त जमा राशि जब्त की जा सकती है।

ii) विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण अनुसूचि **'क'** पर उपलब्ध है।

ड्रा का तरीका :

1. सभी पंजीकृत प्रार्थियों की सूचि आवास बोर्ड के वैबसाईट www.hbh.gov.in पर अपलोड की जाएगी ताकि सभी प्रार्थी कोई कमी / आपत्ति अगर कोई हो, तो वह बोर्ड को सूचित करे।
2. इस ड्रा में असफल प्रार्थियों की आरंभिक जमा राशि बिना किसी ब्याज के सम्बंधित बैंक को वापिस कर दी जाएगी जहां कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र जमा करवाया होगा। अगर किसी कारणवश ड्रा के 30 दिन के बाद रिफण्ड दिया जाता है तो बैंको के द्वारा बचत खाते पर दिये गए ब्याज सहित रिफण्ड किया जाएगा।

4. आबंटन हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम 1971 तथा उसके उपलक्ष मे समय–समय पर बने नियमों के अधीन होगा।

कब्जे का सौंपना :–

आबंटक केवल तभी कब्जा सौंपे जाने के पात्र होंगे जब कि वह सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर चुका होगा/होगी व उसने देय राशी भर दी होगी तथा वांछित दस्तावेज (आवंटन पत्र, पहचान पत्र व जमा की गयी राशि की रसीदें) जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित है तो सम्पदा प्रबंधक, गुरूग्राम के पास जमा करवा देगा।

गलत प्रयोग, अतिरिक्त कार्य, बदलाव आदि :–

आवासीय इकाईयों को रिहाइश के इलावा अन्य प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। आबंटक को इस इकाई को उपविभाजन अथवा किसी दूसरी इकाई के साथ जोडने की पात्रता नहीं है व पूर्व ढांचे में जुड़ाव/बदलाव के लिये आवास बोर्ड व लोकल ऑर्थाटी की पूर्व इजाजत अनिवार्य है।

सामान्य शर्तें:

क) आवास बोर्ड हरियाणा निर्माण के दौरान साईट पर वास्तविक व्यवहार्यता के आधार पर आवास इकाईयों की संख्या बढ़ाने व कम करने के अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार, बोर्ड सुविधाएं तथा विनिर्देशों का बदलने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बोर्ड वास्तविक आकार के अनुसार कमरों के आकार और समग्र कवर क्षेत्र में बदलाव का अधिकार रखना है। ब्रोशर में दर्शाया गया प्रारूप अनुमानित व खरीदारी के लिये मात्र मार्गदर्शन के लिए है। बोर्ड कोई भी कारण बताये बिना डिजाईन, कार्य, विशिष्टताओं और मुल्य में संशोधन करने का अधिकार रखता है।

ख) आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में होना चाहिए जिसमे उपयुक्त राशि डिमांड ड्राफ्ट बैंक विवरण सहित आवेदन पत्र के साथ लगा होना चाहिए। ड्राफ्ट आवास बोर्ड हरियाणा के पक्ष में होना चाहिए।

ग) इस योजना के तहत आवास इकाईयों के आबंटन से सम्बन्धित सभी विवाद केवल पंचकूला स्थित न्यायलयों के क्षेत्राधिकार के आधीन होगें।

घ) आवेदन फार्म मे अतिरिक्त / ओवरराईटिंग / काटा जाने को आवेदक द्वारा दिनांक सहित सत्यापित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर आवेदन मान्य नही होगा। आवेदक सभी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रखे जो कि आवश्यकता पडने पर मांगी जा सकती है।

ड) जिन आवेदकों ने बैंक से लोन ले रखा है तो मांग पत्र व सूचना पत्र सफल आवेदकों के पक्ष में तैयार किये जाएगें और केवल उस अधिकृत बैंक की नियन्त्रण शाखा को भेजे जाएगे।

च) भारत सरकार, आवास और शहरी मामलों के मत्रालय ने शहरी गरीबों के लिए क्रैडिट लिंक सबसिडी योजना (CLSS) शुरू की है जिसके तहत आबंटियों को छः लाख तक के आवास ऋण में सामित 6.5 प्रतिशत ब्याज पर सबसिडी की छूट प्राप्त की जा सकती है।

RESERVATION

The applicant should apply against one o the following categories by indicating code in the application form as given to each category.

अनुसूचि 'क'

Sr. No.	Category	Reserva -tion code	%age of Reserv-ation
1-	**Haryana State Government Employees:** i. Haryana State Government Employees and employees of Boards/Corporations, Improvement Trusts/State Co-operative Banks under Haryana Government who have more than five years of service at the time of application to retire. ii. Haryana State Government Employees and Employees of Boards/Corporations, Improvement Trusts/State Co-operative Banks under Haryana Government who have less than five years service to go.	HGE-I HGE-II	3% 2%
2-	Retired Haryana Government Employees	HGE-(R)	2%
3-	Housing Board Haryana Employees	HBE	1%
4-	Scheduled Castes	SC	18.5%
5-	Handicapped and Blind persons	HC	3%
6-	i. War widows, disabled soldiers, Freedom Fighters (including their children & grand children), defence personnel/Ex-servicemen personnel (residents of Haryana) ii. Paramilitary forces like Central reserve police force, Border Security Force, Indo Tibetan Border Police, Railway Protection Force, Central Reserve Force (Residents of Haryana) and legal heirs/development of the Police personnel of Haryana killed in action.	PMF PMF	8% 2%
7-	Backward Classes	BC	5%
8-	Widows (excluding war widows)	Widow	2%
9-	Media Persons (accredited)	MPA	1.5%
10-	Older persons/senior citizens	OPSC	2%
11-	General	GENER	50%

33% reservation for women applicant under reservation will be applicable if there are more than one flat is available under respective reserve category

NOTES:

- The benefit of reservation to all above mentioned categories shall only be admissible to the residents/domicile of Haryana.
- 33% reservation in each of the above reserved categories except widows and also in the general category shall be provided to women applicants as first/solo applicant. In case sufficient women applicants are not forthcoming in any of the categories, balance of the flats shall be allotted to the applicants in that same category.
- If sufficient applicants are not forthcoming from any of the reserved category mentioned above, the balance of the reserved flats shall be allotted to the applicants in the general category.
- The allotment of remaining flats after the allotment to the applicants belonging to the reserved categories referred above shall be made to the applicants of the general category.

Notes:-

1. The spillover unsuccessful applicants in any of the reserved category shall not be considered in the general pool
2. Where no flat is available for women applicant (s) in any of the reserved category, registered women applicant (s) under that reserved category shall be considered along with general applicant of that reserved category.
3. The employees of autonomous bodies like University, employees of District Rural Development Agency and employees of the co-operative federation except Haryana State Co-Operative Banks are not eligible for reservation under category -1.
4. In case of reservation claimed under older persons/senior citizens, the applicants must have attained the age of 60 years at the time of submitting application form.

Important: The applicant is required to furnish documentary proof in support of reservation claimed, if successful in draw of lots, failing which registration /allotment shall be cancelled without notice and registration amount deposited shall be forfeited as per policy of Board.

शपथ पत्र

मैं .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... शपथ पूर्वक निम्नलिखित घोषणा करता / करती हूं

1. कि मेरे या मेरी पत्नी/ मेरे पति, अविवाहित नाबालिग बच्चों या किसी आश्रित के नाम हरियाणा या दिल्ली या चंडीगढ में कोई रिहायशी मकान नही है।
2. कि पंजीकरण के समय सभी साधनों में मेरी पारिवारिक वार्षिक आय................ रूपये है।
3. कि मैं भारत का नागरिक हूं।
4. कि मेरी जन्म तिथि .... है और पंजीकरण के समय में 18 साल की आयु पूरी कर चुका/ चुकी हूं।
5. कि मैं .... आरक्षित श्रेणी से संबध रखता/ रखती हूं।

स्थान :

दिनांक:

शपथकर्त्ता

सत्यापनः

सत्यापन किया जाता है कि उपरोक्त दिए गए तथ्य मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं तथा इन में कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाये जाते हैं तो मेरे खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कि जा सकती है।

स्थान :

दिनांक: **शपथकर्त्ता**

आय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... सुपुत्र / पुत्री / सुपुत्री श्री ....निवासी .... की सभी स्त्रोंतों से .... कुल पारिवारिक वार्षिक आय .... रू. है। इस आय में आवेदक, उसकी पत्नी, नाबालिक अविवाहित बच्चों तथा उस पर आश्रितों की आय भी शामिल है।

क.	आवेदक की आय व स्त्रोत	....रू.
ख.	आवेदक की पति / पत्नी की आय	....रू.
ग.	आश्रित सदस्यों की आय	....रू.

स्थान

दिनांक

सम्बधित राजस्व अधिकारी

अनुसूची 'ग'

आवास बोर्ड हरियाणा के सम्पदा प्रबन्धक कार्यालय व उनके सम्पर्क नम्बर

पंचकूला	:	9417555045	फरीदाबाद	:	9871010980
कुरूक्षेत्र	:	9416896185	गुरूग्राम	:	8558857199
करनाल	:	9416266246	रेवाड़ी	:	9818155946
पानीपत	:	9416266246	रोहतक	:	9416248948
सोनीपत	:	9971200775	हिसार	:	9416289927

आवेदक–पत्रों की बिक्री व प्राप्ति के लिए अधिकृत बैंक

सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक – एम.डी.सी., एस.सी.ओ.–134, सेक्टर–5, पंचकूला(नियंत्रण शाखा) दू0नं0 0172–2557400 पंचकूला, अम्बाला शहर दू0नं. 0171–2553059, कैथल दू0नं. 01746–235530, करनाल दू0नं0 0184–2230605, कुरूक्षेत्र दू0नं0 01744–229600, जगाधरी दू0नं0 01732–220173, शाहबाद दू0नं0 01744–244250, भिवानी दू0नं0 01664–242024, चरखी दादरी दू0नं0 01250–220110, सिवानी दू0नं0 01255–277100, तोशाम दू0नं0 01253–258211, हिसार दू0नं0 01662–236610, टोहाना दू0नं0 01692–230870, रतिया दू0नं0 01697–253402, डबवाली दू0नं0 01668–230230, बरवाला (हिसार) दू0नं0 01693–242467, सिरसा दू0नं0 01666–231311, फतेहाबाद दू0नं0 01667–224521, हांसी दू0नं0 01663–256125, झज्जर दू0नं0 01251–252146, रोहतक दू0नं0 01262–230686, बहादुरगढ़ दू0नं0 01276–230903, जीन्द दू0नं0 01681–253806, गुड़गांव (सेक्टर–4) दू0नं. 0124–2326534, सोहना दू0नं0 0124–2362251, फारूखनगर दू0नं0 0124–2275156, पटौदी, सोनीपत, करनाल दू0नं0 0184–2230605, पानीपत दू0नं0 0180–2641144, घरौंडा, रेवाड़ी दू0नं0 01274–253227, नारनौल दू0नं0 01282–254785, महैन्द्रगढ़ दू0नं0 01285–221428, दनोंदा दू0नं0 01282–276190, पलवल दू0नं0 01275–246832, फरीदाबाद (एन0आई0टी0) दू0नं0 0129–2501230, फरीदाबाद (पुराना), बल्लभगढ़, धारूहेरा, नूह, रामपूरा।

आई.डी.बी.आई. बैंक – एस.सी.ओ. –10–11, स्वास्तिक विहार, सेक्टर–5, मनसा देवी कॉम्पलैक्स पंचकूला (हरियाणा) 134114 (नियंत्रण शाखा) दू0नं0 0172–5057702/04/05/09 पंचकूला, सेक्टर–11 पंचकूला दू0नं0 0172–2580863, अम्बाला शहर दू0नं0 0171–26331819, अम्बाला छावनी दू0नं0 0173–4287180, रोहतक दू0नं0 01262–266542, भिवानी दू0नं0 01664–250188, पानीपत दू0नं0. 01745–244308, हिसार दू0नं0. 01662–270015, झज्जर दू0नं0. 01251–252171, फतेहाबाद दू0नं0. 01667–230093, सोनीपत दू0नं0. 0130–6536805, राई दू0नं0. 0130–2367225, कैथल दू0नं0 0175–2366100, करनाल दू0नं0 0184–2268048, कुरूक्षेत्र दू0नं0 01732–222800, जींद दू0नं0 01681–248065, यमुनानगर दू0नं0 01744–251145, बहादुरगढ़ दू0नं0 01276–235102, सिरसा दू0नं0 01666–234219, रेवाड़ी दू0नं0 01274–654302, चरखी दादरी दू0नं0 1251–252171.

नोटः हरको बैंक व सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पंजीकरण राशी का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। पंजीकरण राशी के ऋण के लिए निम्नलिखित शाखाओं से सम्पर्क करें।

हरको बैंकः एस.सी.ओ. 78–80 बैंक स्केयर, सैक्टर 17–बी, चण्डीगढ़, (नियंत्रण शाखा) फोन. 0172–2714520, 2704349, चण्डीगढ़ Civil Secretariat दू0नं0. 0172–2741604, सैक्टर 15–सी, दू0नं0. 0172–2771315, सैक्टर 19, दू0नं0. 0172–2773077, सैक्टर 20–डी, दू0नं0. 0172–2706557, सैक्टर 28–डी, दू0नं0. 0172–2651634, सैक्टर 32–सी, दू0नं0. 0172–2660672, सैक्टर 44–डी, दू0नं0. 0172–2609540, मनीमाजरा दू0नं0. 0172–2739319, सैक्टर 6, पंचकूला Extn. HSAMB दू0नं0. 0172–2563934, सैक्टर 11, पंचकूला दू0नं0. 0172–2566365, सैक्टर 4, पंचकूला दू0नं0. 0172–2566406, सैक्टर 15, पंचकूला दू0नं0. 0172–2594405, सैक्टर 2 पंचकूला दू0नं0. 0172–2560178.

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकः अम्बाला दू0नं0. 0171–2530347, भिवानी दू0नं0. 01664–244102, फरीदाबाद दू0नं0. 0129–4057943, फतेहाबाद दू0नं0.01667–226412, गुरूग्राम 0124–2300871, हिसार दू0नं0.01662–236984, जींद दू0नं0.01681–245872, झज्जर दू0नं0. 01251–256263, कैथल दू0नं0. 017246–223508, कुरुक्षेत्र दू0नं0. 01744–291895, करनान दू0नं0. 0184–2272354, महेन्द्रगढ़ दू0नं0. 01285–220232, रेवाड़ी दू0नं0. 01274–251414, पंचकूला दू0नं0. 0172–2569034, पानीपत दू0नं0. 0180–2650138, रोहतक दू0नं0. 01262–254484, सिरसा 01666–242524, सोनीपत दू0नं0. 0130–2246977, यमुनानगर दू0नं0. 01732–231902,

आवास बोर्ड हरियाणा
पंचकूला

गरीबी रेखा से नीचे एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए

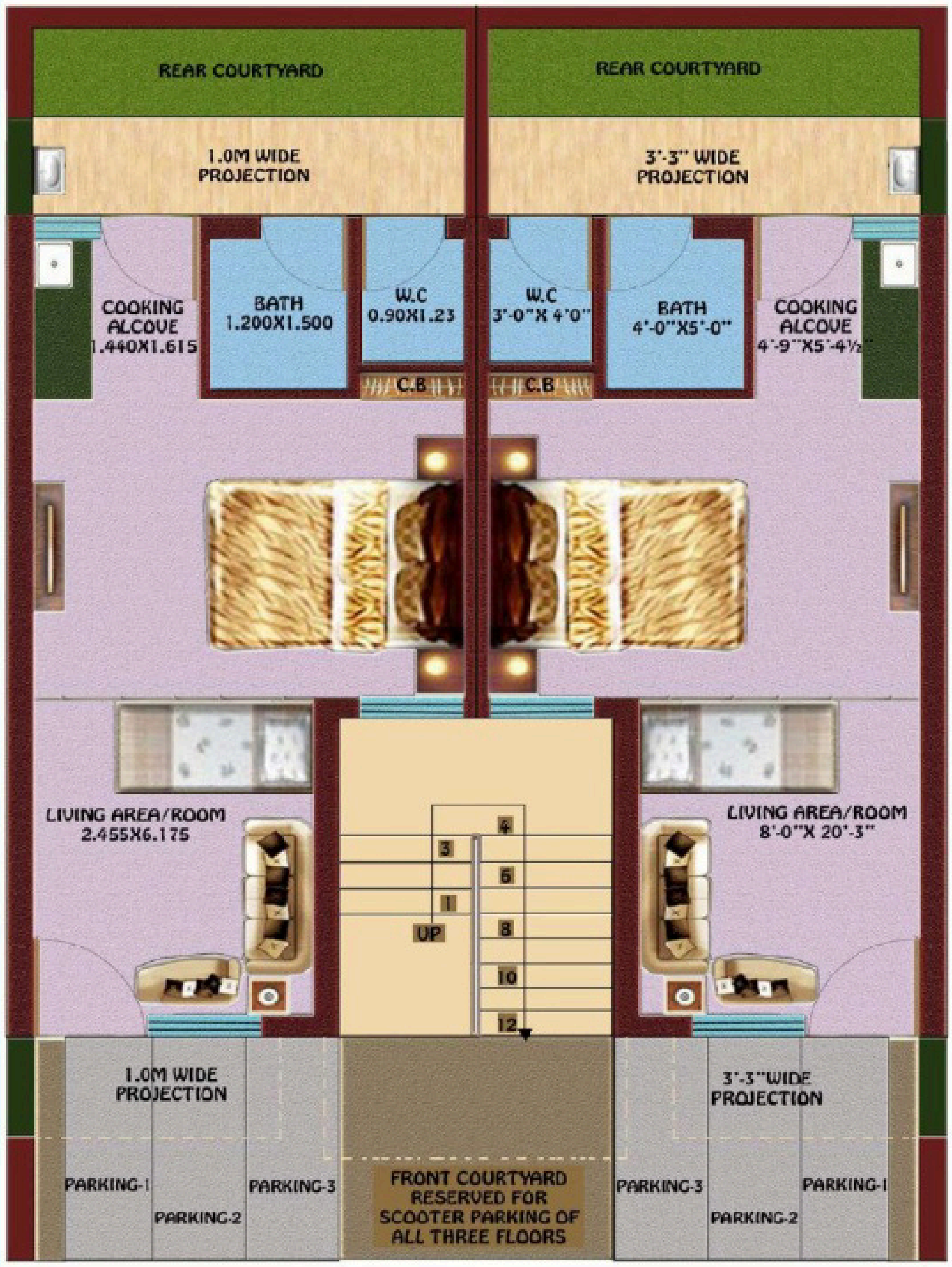

TYPICAL FLOOR PLAN:

- PLOTSIZE : 4.00M X 12.50M = 50SQ.MT OR 60SQ.YDS.
- ILLUSTRATIVE PLAN ONLY
- THE DESIGN CAN VARY DEPENDING ON THE SIZE OF PLOT.

आवास बोर्ड हरियाणा
पंचकूला

आवास बोर्ड हरियाणा

गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
परिवारों के लिए मकान पाने का सुनहरा अवसर

आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा निर्मित किये जा रहे

1719 तीन मंजिले मकान

इन मकानों पर प्रधानमन्त्री आवास योजना की CLSS के अन्तर्गत ब्याज पर 6.5 प्रतिशत सबसिडी का लाभ उठाया जा सकता है। जो आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत शहरी विकास विभाग द्वारा पंजीकृत है वे सभी आवेदक 2.50 लाख रूपये तक की सबसिडी के पात्र है।

आवास बोर्ड हरियाणा

सी–15, आवास भवन, सैक्टर–6, पंचकूला, (हरियाणा) पिन–134 109
फोनः 0172-2585852, 2568687, फैक्सः 0172-2572750
ईमेल: cahbhpkl@gmail.com

कीमत : ₹100/-
गैर वापसी योग्य